Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

#2022/291

जे अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....

..... मनोहरी ..... बनाम ..... सलमी वगैरह .....

किस्त मुकदमा ..... प्रा० अ० नं. ..... 154/22 ..... सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7/10/22	PSO प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 312 CrPC के तहत पेश किया है कि PSO प्रार्थी को एक पड़ोसी पुत्र पत्रावली में गलत रास्ता किसी का अवरोधन किया। प्रकरण वापस हत्या प्रार्थी के हक में कायम आता है कि अभियोगिण एल कोमल अन्तिम अस्थायी उपबंधात्मक आज्ञा तारीख पेशी दिनांक 21.10.22 तक इस आदेश का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद सं० 2,3,4 में वर्णित अराजीयात कावे ग्राम बावड़ी तहसील बयाना के किसी भी यथास्थिति बनाए रखें इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हो। अभियोगिण को जरिए नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 21.10.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

21/10/22 अवकाश पर

पीठासीन अधिकारी ..... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.2.23 को पेश हो

रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22/01/25	आज समय प्रार्थीगण को समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सुनवाई की गई एवं तथ्य लिखित। 16. प्रार्थी ने तथ्यों की पुष्टि किया। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि अब पक्षकारान के समझौता आपस में रजीनामा हो गया है प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रार्थना पत्र की स्वीकृत पारित करने का निवेदन किया प्रार्थीगण की पहचान स्टेनोग्राफर द्वारा की गई।	प्रोनोसिंह समयसिंह सत्यप्रकाश अ.नि.साक्षी Identified by me देवीसहाय एडवोकेट

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सही तथ्यपरक लिखित गया है प्रकरण समझौता होकर तथ्य सही पाए जाने से दावा खारिज किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.